

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर

नवीन मान्यता निरीक्षण प्रतिवेदन

सामान्य विवरण -

निरीक्षण दिनांक समय.....

निर्देश :- 1. मूल अभिलेख देखकर निम्न जानकारी भरें। 2. सुविधायें वास्तविक रूप से देखकर भरें।

1. समिति का विवरण

1. समिति का नाम तथा पूरा पता

.....कार्यक्षेत्र.....मुख्यालय का नाम

तहसील.....जिलादूरभाष क्रमांकमो.न.....

समिति का पंजीयन क्रमांकदिनांक.....स्थान.....

पंजीयन करने वाली संस्था का नाम.....जिला.....

स्थापना का उद्देश्य 1.....2.....3.....

(समिति का पंजीयन प्रमाण पत्र, समिति का उद्देश्य की जानकारी संलग्न प्रस्तुत करें)

शाला प्रबंधक का नाम व पता :-

.....दूरभाष क्रमांकमो. न.

शाला प्रबंध समिति के शासकीय सदस्यों के नाम/पता -

अ) नामकार्यालय

दूरभाष/मोबाईल क्र०विकासखण्ड/नगर, जिला

ब) नामकार्यालय

दूरभाष /मोबाईल क्र०विकासखण्ड/नगर, जिला

शासकीय सदस्यों को मनोनीत करने के संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी का आदेश क्रमांक

दिनांक छाया प्रति संलग्न करें ।

2. संस्था का विवरण

2.1. (अ) विद्यालय का नाम.....

दूरभाष क्र.....मो.न.....

(ब) पता.....ग्राम/पोस्ट.....विकासखण्ड/त.ह.....

जिलापिन कोड.....(छ.ग.)

शिक्षा विभाग की अनुमति/आदेश क्रमांक जारी दिनांक

द्वारा कक्षा.....सेतक, वर्षसेतक की अनुमति प्राप्त है।

3. परीक्षा जिसके लिए मान्यता चाही गई है (हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी).....

4. अध्यापन का माध्यम -हिन्दी/अंग्रेजी.....

निरीक्षणकर्ता के हस्ताक्षर -

5. (अ)अक्षय निधि –(प्राचार्य एवं जिला शिक्षा अधिकारी के सयुक्त नाम से शहरी क्षेत्र हेतु रु.1,00,000/–(एक लाख) एवं ग्रामीण क्षेत्र हेतु रु 50,000 (पचास हजार)जमा करना अनिवार्य है।

(अ) रू0सावधी जमा क0.....बैंक का नाम.....
जारी करने का दिनांकअवधीवर्ष अंतिम तिथि

(ब) रू0सावधी जमा क0.....बैंक का नाम.....
जारी करने का दिनांकअवधीवर्ष अंतिम तिथि

(स) संस्था/समिति के बचत खाते का विवरण खाता क्र.....
निरीक्षण दिनांक को खाते में शेष राशि(स्टेटमेंट/छायाप्रति संलग्न करें)

6. संस्था से निकटतम डाकघर दूरीकि. मी.

7. संस्था किस क्षेत्र में स्थित है – अ) ग्राम पंचायत/नगर पंचायत/नगर पालिका/नगर निगम
ब) आदिवासी/गैर आदिवासी क्षेत्र

(सही का निशान लगावें) स) गाँव/कस्बा/अराजभोगी नगर/राजभोगी नगर

8. निकटतम दो हाईस्कूलों के नाम –

(अ) शास. उ. मा. वि. दूरी कि.मी

(ब) अशासकीय उ. मा. वि. दूरी किमी.

9. निकटतम दो हायर सेकेण्डरी के नाम –

(अ) शास. उ. मा. वि. दूरी कि.मी

(ब) अशासकीय उ. मा. वि. दूरी किमी.

10. निकटतम पुलिस थाना/चौकी का नामशाला से दूरीकि.मी

11. संस्था का प्रकार बालक/कन्या/को.एड.(सहशिक्षा)

12. (अ) विद्यार्थियों की संख्या :-

कक्षा 8 वी..... कक्षा 9 वी कक्षा 10 वी

कक्षा 11 वी संकायवार कला.....विज्ञानवाणिज्य..... कृषि.....

कक्षा 12 वी संकायवार कला.....विज्ञानवाणिज्य..... कृषि.....

संकायवार छात्र संख्या – कलाविज्ञान.....वाणिज्य..... कृषि

निरीक्षणकर्ता के हस्ताक्षर –

अ) निरीक्षण तिथि में उपस्थित विद्यार्थी संख्या :-

कक्षा 8 वी..... कक्षा 9 वी कक्षा 10 वी

कक्षा 11 वी संकायवार कला..... विज्ञान वाणिज्य..... कृषि.....

कक्षा 12 वी संकायवार कला..... विज्ञान वाणिज्य..... कृषि.....

संकायवार छात्र संख्या - कला विज्ञान..... वाणिज्य..... कृषि

13. अध्ययनरत छात्रों के नामांकन शुल्क जमा करने का विवरण -

अ) कक्षा 9 वी प्रवेशरत कुल छात्र संख्या -

ब) मण्डल में जमा की गई कुल शुल्क रू0 दिनांक

14. कक्षाएँ प्रारंभ होने का वर्ष - नवमी दसवीं ग्यारहवीं बारहवीं

15. पढ़ाये जाने वाले विषय :-

अ) हाईस्कूल प्रथम भाषा - द्वितीय भाषा तृतीय भाषा

निवार्य विषय - 04. गणित 05. विज्ञान 06. सामाजिक विज्ञान 07. पर्यावरण अध्ययन

ब) हायर सेकण्डरी - प्रथम भाषा - द्वितीय भाषा

कला संकाय - 1) 2) 3) 4).....

विज्ञान संकाय - 1) भौतिक शास्त्र 2) रसायन शास्त्र 3) 4).....

वाणिज्य संकाय - 1) व्यवहारिक अर्थशास्त्र 2) बही खाता 3) वाणिज्य के मूल तत्व 4).....

अन्य संकाय - संकाय का नाम -

1) 2) 3).....

4)..... 5) 6).....

3. स्टाफ का विवरण

16. अ) प्राचार्य का नाम दूरभाष..... शैक्षणिक योग्यता

यावसायिक योग्यता

ब) संस्था में नियुक्ति दिनांक अनुभव (वर्षों में)

स) व्याख्याता/शिक्षाकर्मी की संख्या अन्य स्टाफ की संख्या

एम ए-.....एम वगम.....एम एस सी.....प्रशिक्षित बी एड.....

अप्रशिक्षित.....अन्य स्टाफ.....कुल संख्या

सं.क्र.	शिक्षक का नाम	पद नाम	नियुक्ति दिनांक	पढाये जाने वाले विषय	शैक्षणिक योग्यता	प्रशिक्षित बी एड डी एड	अनुभव	वेतन एवं हस्ताक्षर
---------	---------------	--------	-----------------	----------------------	------------------	------------------------	-------	--------------------

उपरोक्त प्रारूप में सूची संलग्न की जाना है, साथ ही प्रत्येक शिक्षक के शैक्षणिक योग्यता, प्रमाण पत्र संलग्न करे. शिक्षक विषयवार होना आवश्यक है) ।

4. भौतिक संसाधन का विवरण

17. भूमि एवं भवन से सम्बन्धित विवरण -

अ) भूमि का क्षेत्रफल वर्ग फीट (भूमि का खसरा नं./प्लॉट नं.....
क्षेत्रफल)

ब) भूमि/भवन का स्वामित्व - स्वयं का/किराये का

(A)यदि किराये का है, तो मकान मालिक का नाम

पता.....

किरायानामा..... से तक की अवधि का है।

(B)यदि स्वयं का है, तो समिति के नाम पर है या अन्य के नाम पर स्पष्ट लिखें

.....

पता

ग) भवन का क्षेत्रफल वर्ग फीट कुल कमरों की संख्या

भवन के मंजिलों की संख्या

घ) अध्यापन कक्षाओं एवं अन्य कक्षाओं का विवरण :-

(अ) हाईस्कूल - कक्षा 9 वी कक्षा संख्या कक्षा 10 वी कक्षा संख्या

आकार.....X.....वर्गफीट आकार.....X.....वर्गफीट

(ब)हायर सेकेण्डरी - कक्षा 11 वी कक्षा संख्या कक्षा 12 वी कक्षा संख्या

आकार.....X.....वर्गफीट आकार.....X.....वर्गफीट

(स)कार्यालय एवं अन्य उपयोग हेतु कुल कमरे :-

प्राचार्य कक्ष - 01 आकार.....X.....वर्गफीट

कार्यालय कक्ष - 01 आकार.....X.....वर्गफीट

पुस्तकालय कक्ष - 01 आकार.....X.....वर्गफीट

अध्यापक कक्ष - 01 आकार.....X.....वर्गफीट

हाईस्कूल प्रयोगशाला कक्ष -01 आकार.....X.....वर्गफीट

हायर सेकेण्डरी प्रयोग शाला कक्ष :-

भौतिक शास्त्र- आकार.....X.....वर्गफीट

रसायन शास्त्र- आकार.....X.....वर्गफीट

जीव विज्ञान - आकार.....X.....वर्गफीट

निरीक्षणकर्ता के हस्ताक्षर -

-5-

बरामदा :-

आकार.....X.....वर्गफीट

कुल कमरो की संख्या --

यदि बारान्डा है तो आकार

यदि आंगन है तो आकार

क्या छात्र संख्या को देखते हुए मापदण्ड अनुसार पर्याप्त भवन है। हां/नही

5. अन्य संसाधन का विवरण

8. प्रसाधन -

स्टाफ के लिए छात्रों के लिए छात्राओं के लिए

टीप - प्रत्येक 100 छात्र/छात्राओं पर एक-एक अतिरिक्त टॉयलेट अनिवार्य है।

19. (अ) फर्नीचर -

छात्रो हेतु डेस्क संख्याबेंच संख्या

कार्यालय उपयोग हेतु टेबल संख्याकुर्सी संख्याअलमारियो की संख्या

(ब) विद्युत व्यवस्था :-

समस्त कक्षों में विद्युत व्यवस्था ट्यूबलाईट/पंखे अनिवार्य रूप से संख्या

(स) पेयजल व्यवस्था :-

स्वच्छ पेयजल व्यवस्था कुँआ/नलकुप/नल/वाटर कूलर के माध्यम से है/नही

(द) स्वास्थ्य परीक्षण :-

क्या प्रत्येक विद्यार्थी का सत्र में न्यूनतम एक बार स्वास्थ्य परीक्षण किया गया है/नही
स्वास्थ्य परीक्षण का रजिस्टर्ड चिकित्सक का प्रमाण प्रस्तुत करें।

(इ) पुस्तके :-

पाठ्योत्तर व रैफरेंस बुका का मापदण्ड कम से कम प्रति छात्र तीन पुस्तको के मान से।

कुल छात्र उपलब्ध पुस्तको की संख्या

20. खेल का मैदान :-

खेल का मैदान स्वयं का है

हाँ/नही

यदि नहीं, तो मैदान किसका है, विवरण दें

खेल कूद में उपयोग में आने वाले मैदान का क्षेत्रफल

गत वर्ष के खेल कार्यक्रम :-

संस्था द्वारा किन खेलों की व्यवस्था -

निरीक्षणकर्ता के हस्ताक्षर -

6. वित्तीय संसाधन का विवरण

21. आय व्यय का विवरण :-

वर्ष	फीस	अन्य स्रोत	कुल आय	कुल व्यय
.....
.....
.....

स.क्र.	वित्तीय स्थिति	विवरण
01	विद्यालय का बैंक खाता किस बैंक में है।	
02	बैंक खाता क्रमांक	
03	बैंक का संचालनकर्ता का नाम	
04	गत तीन वर्ष का पूजीगत व्यय	
05	चालू सत्र में निर्धारित शुल्क	
06	कक्षा 09 वीकक्षा 10 वी कक्षा 11 वीकक्षा 12 वी	
07	आय के अन्य स्रोत	

7 संलग्न प्रपत्र की चेक लिस्ट

	संलग्न है/ नहीं
01. समिति का पंजीयन प्रमाण पत्र/कार्यकारिणी समिति की प्रमाणित सूची	है/ नहीं
02. संस्था/विद्यालय के नियामावली की प्रति	है/ नहीं
03. शासकीय सदस्यों की जानकारी आदेश की प्रति	है/ नहीं
04. विभागीय अनुमति की प्रति	है/ नहीं
05. अक्षय निधि एवं बचत खाते का विवरण छाया प्रति	है/ नहीं
06. नामकन शुल्क जमा करने की फोटो कापी सूची संलग्न	है/ नहीं
07. स्टाफ सूची निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्रों की छाया प्रति सहित	है/ नहीं
08. भूमि का खसरा/बी 1 की प्रति/रजिस्ट्री की प्रति	है/ नहीं
09. किरायानामा एवं मकान मालिक बी 1 खसरा की प्रति	है/ नहीं
10. भवन का प्रमाणित नक्शा क्षेत्रफल की जानकारी सहित	है/ नहीं
11. फर्नीचर की संख्या डेस्क बेंच की संख्या की जानकारी	है/ नहीं

निरीक्षणकर्ता के हस्ताक्षर -

-7-

- 2. पुस्तको की सूची है / नहीं
- 3. प्रयोगशाला समाग्री की सूची है / नहीं
- 4. खेल मैदान की जानकारी खेल समाग्री की सूची है / नहीं
- 5. आडिट रिपोर्ट 03 वर्ष की है / नहीं
- 6. विद्यालय के बाहय दृश्य स्थिति, अध्ययापन कक्ष, प्रयोगशाला पुस्तकालय, प्रसाधन, खेल मैदान का फोटो ग्राफ्स है / नहीं

निरीक्षणकर्ता अधिकारी का मत

- 1 संस्था.....का परीक्षा की नवीन मान्यता हेतु दिनांक.....समय बजे मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया है।
- 2 संस्था के निरीक्षण उपरांत निम्नानुसार कमीयां पाई गई है :-
 - 1 2..... 3.....
 - 4..... 5..... 6.....

स्पष्ट अभिमत दे मण्डल द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप निरीक्षण किया गया।

संस्था मापदण्ड के
.....
.....

निरीक्षणकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

नाम.....

पद नाम.....

पद मुद्रा

नोट :- बिन्दू क्रमांक-7 के अनुसार चेकलिस्ट में दर्शाये गये प्रपत्र निर्धारित क्रमानुसार प्रमाणित कर संलग्न करें। जो प्रपत्र नहीं है उसके आगे नहीं में सही का निशान तथा जो प्रपत्र संलग्न किये गये है उसमें है। सही का निशान अंकित करें। चेकलिस्ट में दिये गये सभी प्रपत्र अनिवार्यरूप संलग्न हो इसका विशेष ध्यान रखा जावे। मापदण्ड के संबंध में अंतिम पृष्ठ पर मापदण्ड की जानकारी दी गई है उसी के आधार पर अपना मत अंकित करें।

- निरीक्षण हेतु निर्धारित मापदण्ड की जानकारी -

01. संस्था को कक्षा 10वीं/12वीं की शाला प्रारंभ करने की विभागीय अनुमति।
 02. शाला भवन किराये का/स्वयं का दर्शाया है किन्तु किरायानामा एवं भू-स्वामित्व का दस्तावेज/भू-स्वामित्व समिति के नाम पर संलग्न करना अनिवार्य है। शाला के भूमि सह भवन का नक्शा नगर निगम/नगर पालिका निगम/नगर पंचायत/ग्राम पंचायत से प्रमाणित अनिवार्य है। भूमि भवन, कक्ष का क्षेत्रफल पृथक-पृथक दर्शाया जाना है। संस्था की भूमि कम से कम 02 एकड़ होना अनिवार्य है।
 - (1) शाला भवन का निर्मित क्षेत्रफल हाईस्कूल के लिये न्यूनतम 2000 वर्गफीट व हायर सेकेण्डरी के लिये 2600 वर्गफीट होना अनिवार्य है। यदि संस्था प्राथमिक से लेकर हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी की कक्षाएँ चला रही हो तो न्यूनतम निर्मित क्षेत्रफल 4000 वर्गफीट होना चाहिये।
 - (2) शाला भवन में निम्नानुसार न्यूनतम संख्या में कक्षाओं का होना अनिवार्य है :-
 - (अ) प्राचार्य, कार्यालय, स्टॉफ, पुस्तकालय व प्रयोगशाला (हाईस्कूल) के लिये एक-एक कक्ष अर्थात:-5 कक्ष
 - (ब) केवल हाईस्कूल के लिये कक्षाएँ
- 2 कक्ष
कुल 7 कक्ष
न्यूनतम
- नोट: 1** यदि संस्था को हायर सेकेण्डरी के लिये मान्यता लेना है तो विज्ञान संकाय के लिये तीन कक्ष प्रायोगशाला हेतु अतिरिक्त निर्माण कराना आवश्यक होगा।
2. जितने संकाय एवं सेक्शन होंगे, प्रत्येक सेक्शन के लिये एक-एक कक्ष निर्माण कराना होगा।
 3. 45 छात्रों तक के लिये एक कक्ष, उससे अधिक संख्या होने पर प्रत्येक 45 छात्रों के लिये एक-एक कक्ष का अतिरिक्त निर्माण कराना आवश्यक होगा।
 4. एक सेक्शन में अधिक से अधिक 45 छात्र और कम से कम 15 छात्र होना आवश्यक है।
 5. छात्र-छात्राओं की पाठ्येत्तर गतिविधियों के लिये भवन में एक बरामदा या हाल होना आवश्यक है जहाँ संस्था के कार्यक्रमों को आयोजित किया जा सके।
 6. बड़ी एवं शहरी क्षेत्र की संस्थाओं में आध्यापन कक्षाओं का निर्माण इस प्रकार हो कि प्रत्येक छात्र को 8 वर्गफीट स्थान मिल सके। कस्बाई क्षेत्र में 6 वर्गफीट एवं ग्रामीण क्षेत्र में 4 वर्गफीट स्थान मिलना सुनिश्चित हों।
 7. यदि संस्था प्राथमिक अथवा मिडिल स्कूल चलाती है तो उन छात्रों की संख्या के अनुपात में अतिरिक्त कक्षाओं की व्यवस्था होनी चाहिये या दो पाली में चलाने पर उतने अनुपात में कक्षाएँ होनी चाहिये।
 8. भूमि एवं भवन का नक्शा प्राधिकृत व्यक्ति/ संस्था (नगर निगम/ग्राम पंचायत/नगर पालिका) द्वारा प्रमाणित होना चाहिये।
03. हाईस्कूल हेतु एक प्रायोगिक कक्ष एवं हायर सेकेण्डरी विज्ञान हेतु तीन प्रायोगिक कक्ष की व्यवस्था अनिवार्य है। लैब सहायक नियुक्त होना चाहिये है। प्रयोगशाला सामग्री की सूची संलग्न की जाना है। फर्नीचर व्यवस्था, शुद्ध पेयजल की उपलब्धता छात्र/छात्राओं के लिये पृथक-पृथक टायलेट, खेल का मैदान तथा विद्युत व्यवस्था की जानकारी अनिवार्य है।
 04. हाईस्कूल में प्राचार्य-01 तथा 06 व्याख्याता/शिक्षक वर्ग-1, सहायक शिक्षक विज्ञान-01, लेखापाल/सहायक ग्रेड-दो 01, सहायक ग्रेड-तीन-01, चौकीदार एवं स्वीपर-04 कुल 14 का स्टाफ होना आवश्यक है। पर्याप्त संख्या में निर्धारित योग्यता प्राप्त अध्यापन स्टाफ एवं अन्य स्टाफ नियुक्त अनिवार्य है। व्याख्याताओं एवं शिक्षकों की योग्यता प्रमाण पत्र की प्रमाणित छाया प्रतियाँ, स्टाफ सूची सह संलग्न की जाना है।
 05. हाईस्कूल + हायर सेकेण्डरी में प्राचार्य 01, तथा 11 व्याख्याता/शिक्षा कर्मी वर्ग-1 एक ही संकाय के छात्रों को पढ़ाने के लिये कम से कम प्रत्येक विषय पर एक व्याख्याता होना चाहिये। एक संकाय के बाद अन्य संकाय के प्रारंभ होने पर प्रति संकाय 3 संबंधित विषय के व्याख्याता की नियुक्ति आवश्यक है। व्यायाम शिक्षक/शिक्षा कर्मी वर्ग-2-01, सहायक ग्रेड तीन-01, चौकीदार एवं स्वीपर-06 का स्टाफ होना आवश्यक है। जहाँ 04 से अधिक सेक्शन है, वहाँ संबंधित विषय के दो-दो व्याख्याताओं की नियुक्ति अनिवार्य है व्याख्याताओं एवं शिक्षकों की योग्यता प्रमाण पत्र की प्रमाणित छाया प्रतियाँ, स्टाफ सूची सह संलग्न की जाना है।
 06. अक्षय निधि शहरी क्षेत्र हेतु राशि 1,00,000/- (अक्षरी एक लाख रुपये) एवं ग्रामीण क्षेत्र हेतु राशि 50,000/- (अक्षरी पचास हजार रुपये) जिला शिक्षा अधिकारी एवं प्राचार्य के संयुक्त खाते में जमा करना अनिवार्य है। संस्था के बचत खाते में शहरी क्षेत्र हेतु बचत खाते में रु 50,000/- एवं ग्रामीण क्षेत्र में 25,000/- राशि आवश्यक है जिससे आकस्मिक स्थिति में शिक्षकों को कम से कम तीन माह का वेतन किसी भी समय आवश्यकता पड़ने पर भुगतान कर सके।
 07. संस्था से दी गई चेक लिस्ट के अनुसार छायाप्रति प्रमाणित कर निरीक्षण प्रपत्र के साथ संलग्न की जाना है।
 08. दिशा-निर्देशों के संबंध में यदि कठिनाई हो तो, मण्डल कार्यालय के मान्यता प्रभाग कक्ष में फोन नं. 0771-3057042 पर संपर्क कर, कठिनाई का समाधान कर सकते हैं।